इस्लामी क़ानून-ए-विरासत

(मास्टर बुक)

लेखक

अनवर आलम

समीक्षा

डॉ० मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी

JOIN FREE CLASS

SCAN
PLAY & LEARN
ISLAMIC LAWS OF INHERITANCE

SCAN
PLAY & LEARN
Distribution of Inheritance
"Virasat ki Taqseem"

इस्लामी क़ानून-ए-विरासत

(मास्टर बुक)

लेखक

अनवर आलम

B.E. (Electronics & Communication)

CCIE, CCNP, BGP, MPLS, CCNA

PALOALTO, LTM, GTM, SDWAN

(Mob. 9871481152, virasat.anwar@gmail.com)

समीक्षा

डॉ० मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी

प्रकाशक

अल-उम्मा बुक हाउस

जामिया नगर नई दिल्ली-25

विषय सूची

1. पाठकों के लिए दो शब्द 03
2. प्रस्तावना 06
3. वारिसों की क़िस्में, ज़विल फ़ुरूज़ की क़िस्में 11
4. असबात की क़िस्में 11
5. ज़विल अरहाम की क़िस्में 13
6. शौहर का हिस्सा, बीवी का हिस्सा 15
7. बाप या दादा का हिस्सा 16
8. बेटी का हिस्सा 17
9. माँ का हिस्सा 17
10. पोती का हिस्सा 19
11. हक़ीक़ी बहन, भाई का हिस्सा 22
12. मादरी बहन, भाई का हिस्सा 23
13. पिदरी बहन, भाई का हिस्सा 24
14. दादी और नानी के हिस्से 26
15. सन्दर्भ सूची (वारिसीन के हवाले क़ुरआन, हदीस में) 28
16. लेखक की अन्य पुस्तकें 32

पाठकों के लिए दो शब्द

अस्सलामु अलेकुम

आज से तक़रीबन 7 साल क़ब्ल एक अज़ीज़ रिश्तेदार की वफ़ात हुई तो उनके तीन बेटों ने, अपने मरहूम बाप के घर को उस वक़्त बेच दिया जबकि उसकी बीवी इद्दत में ही थी। और बेचने के बाद जो पैसा मिला उसके चार बराबर हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा माँ को दिया और बाक़ी तीन हिस्से आपस में बाँट लिए जबकि मरने वाले शख़्स की 5 बेटियाँ भी मौजूद थीं।

उस वक़्त मैं मीरास के बारे में कुछ भी नहीं जानता था फिर भी ऐसा लगा कि मरने वाले की बेटियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए था।

मैंने दिसम्बर 2015 से मीरास की किताबों को पढ़ना शुरू किया सबसे पहली किताब ''सिराजी

का आसान हल'' पढ़ी। जिसमें लिखा था कि रसूल (सल्ल०) ने इस इल्म को सीखने और सिखाने का हुक्म फ़रमाया है और आप (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया है कि यह आधा इल्म है और सबसे पहले ये इल्म ही लोगों से उठा लिया जाएगा।

उस किताब में यह भी लिखा था कि आज उल्मा-ए-इकराम की तअ़दाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों है लेकिन इल्म-ए-मीरास को जानने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ।

मैने अल्लाह से दुआ की, कि मैं भी इस इल्म को सीखना चाहता हूँ । और लोगों को सिखाना चाहता हूँ। अल्लाह ने मेरी दुआ को क़ुबूल किया ।

अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल से इल्म-ए-मीरास का इल्म लोगों में बाँट रहा हूँ। इस इल्म को सीखना बहुत आसान है क्योंकि अल्लाह ने क़ुरआन और हदीस में सारे वारिसीन के हिस्से मुक़र्रर कर दिए हैं। हम सबको

इल्म-ए-मीरास सीखने और इल्म-ए-मीरास को नाफ़िज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि 90% घरों में मीरास तक़्सीम नहीं की जाती और हम जाने अनजाने में यतीम का माल नाहक खाते हैं । और जो भी यतीम का माल खाता है वो अपने लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोलता है ।

रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया ''जिस शख़्स ने अपने वारिस की मीरास काटी तो रोज़े क़यामत अल्लाह तआ़ला उसकी जन्नत की मीरास काट देगा ।''

(मिश्कात -3078)

अल्लाह हम सब पर रहम फ़रमाए और हम सबको दीन पर चलने की तोफ़ीक अता फ़रमाए।

आमीन

(अनवर आलम)

प्रस्तावना

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

''अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है ।''

अल्लाह तआ़ला ने इनसानों और जिन्नों को पैदा किया ताकि वो उसकी इबादत करें । [क़ुरआनः सूरह अज़-ज़ारियात (51), आयत 56]

अल्लाह ने मौत और ज़िन्दगी को पैदा किया, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुममें से कौन अच्छा अमल करने वाला है? [क़ुरआन : सूरह मुल्क (67), आयत 2]

हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है । [क़ुरआन : सूरह काफ़ (50), आयत 16 , 17 , 18]

क़यामत के दिन हर इनसान को उसका आमाल नामा (कर्मपत्र) दिया जाएगा, जिसको आमाल

नामा दाहिने हाथ में मिलेगा वो जन्नत के बाग़ों में होगा और जिसको आमाल नामा बाएँ हाथ में दिया जाएगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा।

[क़ुरआन : सूरह हाक़्क़ा (69), आयत 19, 21, 22, 25, 30, 31]

एक दिन हम सबको मौत आनी है। यह दुनिया की ज़िन्दगी तो धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। [क़ुरआन : सूरह आले-इमरान (3), आयत 185]

तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा कमाया हुआ सारा माल चाहे वो सोना चाँदी की शक्ल में हो या कार, कोठी, कारखाने या खेती की ज़मीन की शक्ल में हो, यह सब कुछ तरका बन जाएगा।

तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी सारी दौलत का मालिक कौन होगा? अल्लाह ने क़ुरआन मजीद में अपनी वसीयत लिख दी है। और सारे वारिसों के हिस्से मुकर्रर (Fixed) कर दिए हैं। [क़ुरआन :

सूरह निसा (4), आयत 7, 8, 11, 12, 176]

जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तरीक़े से खाते हैं, हक़ीक़त में वे अपने पेट में आग भरते हैं, और वह जल्द ही आग में जा पड़ेंगे । [क़ुरआन : सूरह निसा (4), आयत 10]

जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को पूरा करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करेगा और उसकी हदों को पार करेगा, वह आग में दाख़िल होगा, जिसमें वह हमेशा पड़ा रहेगा और उसे ज़िल्लत का अज़ाब होगा । [क़ुरआन : सूरह निसा (4), आयत 13-14]

रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया :-

विरासत का इल्म सीखो और सीखाओ, इसलिए कि वो इल्म का आधा हिस्सा है, वो भुला दिया जायेगा, और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत

से उठा लिया जायेगा। (इब्ने माज-2791)

रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया :-

विरासत का इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ इसलिए कि मैं वफ़ात पाने वाले हूँ । (तिर्मीज़ी -2091)

क़ुरआन और हदीस से यह बात मालूम हुई कि किसी भी शख़्स का छोड़ा हुआ माल उसकी मौत के बाद मीरास बन जाता है और मीरास की तक़सीम ज़रूरी है । वारिस कौन बनेगा? किसको कितना हिस्सा मिलेगा? इसी मोज़ू (Topic) पर यह किताब लिखी गई है ।

दीन आसान है तो इल्म-ए-मीरास सीखना भी आसान है और फिर इसका सीखना तो इसलिए भी ज़रूरी है कि मीरास का कोई निसाब नहीं है । जैसे कि ज़कात का निसाब है । ज़कात तो निसाब वाले पर फ़र्ज़ है पर मीरास तो हर एक पर फ़र्ज़ है ।

जब कोई शख़्स मर जाता है तो सबसे पहले उसका कफ़न-दफ़न किया जाता है। दूसरे नम्बर पर उसके क़र्ज़ की अदायगी की जाती है। तीसरे नम्बर पर उसकी वसीयत को लागू किया जाता है।

वसीयत पूरे माल पर लागू नहीं होती है। कफ़न-दफ़न और क़र्ज़ की अदायगी के बाद जो माल बचेगा उस पर वसीयत लागू होगी। वसीयत उन लोगों के लिए नहीं है जिनके हिस्से मुक़र्रर हैं। वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते।

चौथे नम्बर पर मीरास की तक़्सीम की जाएगी। मीरास की तक़्सीम पूरे माल पर लागू नहीं होती है। कफ़न-दफ़न, क़र्ज़ और वसीयत की अदायगी के बाद जो माल बचेगा उस पर लागू होगी।

★ ★ ★

वारिसों की क़िस्में

1. ज़विल फ़ुरूज़ 2. असबात 3. ज़विल अरहाम

ज़विल फ़ुरूज़ की क़िस्में

मर्द : 1. शौहर 2. बाप
3. दादा 4. माँ शरीक भाई

औरतें : 1. बीवी 2. माँ
3. बेटी 4. पोती
5. हक़ीक़ी बहन 6. बाप शरीक बहन
7. माँ शरीक बहन
8. दादी 9. नानी

असबात की क़िस्में

1. असबा-बि-ग़ैरिही (मर्द व औरत)
2. असबा-मअ़-ग़ैरिही (सिर्फ़ औरतें)
3. असबा बि-नफ़्सिही (सिर्फ़ मर्द)

असबा-बि-ग़ैरिही

1. बेटा के साथ बेटी
2. पोता के साथ पोती
3. हक़ीक़ी भाई के साथ हक़ीक़ी बहन
4. बाप शरीक भाई के साथ बाप शरीक बहन

असबा-मअ़-ग़ैरिही

1. बेटी के साथ हक़ीक़ी बहन
2. पोती के साथ हक़ीक़ी बहन
3. बेटी के साथ पिदरी (बाप शरीक) बहन
4. पोती के साथ पिदरी (बाप शरीक) बहन

असबा-बि-नफ़्सिही

A-C1 (अ) पहली क़िस्म:

1. बेटा
2. पोता
3. पड़पोता

A-C2 (ब) दूसरी क़िस्मः

1. बाप
2. दादा
3. परदादा

A-C3 (प) तीसरी क़िस्मः

1. हक़ीक़ी भाई, पिदरी (बाप शरीक) भाई
2. हक़ीक़ी भाई की औलाद
   पिदरी (बाप शरीक) भाई की औलाद

A-C4 (त) चौथी क़िस्मः

1. हक़ीक़ी चचा, पिदरी चचा
2. हक़ीक़ी चचा की औलाद
   पिदरी चचा की औलाद

ज़विल अरहाम की क़िस्में

पहली क़िस्म (1) नवासा (2) नवासी
(3) बेटे का नवासा

(4) बेटे की नवासी

(5) पोते का नवासा

(6) पोते की नवासी

दूसरी क़िस्म : (1) नाना (2) परनाना

(3) बाप का नाना

(4) बाप का परनाना

(5) माँ का दादा

(6) माँ का नाना

(7) माँ की दादी

(8) माँ की परदादी

तीसरी क़िस्म : (1) भतीजी (2) भान्जा

(3) भान्जी

(4) और उनकी औलाद

(5) अख़्याफ़ी भाई बहन की औलाद (अख़्याफ़ी का मतलब माँ शरीक)

चौथी क़िस्म : (1) फूफी

(2) ख़ाला

(3) मामू

(4) और उनकी औलाद

शौहर का हिस्सा (ज़विल फ़ुरूज़)

1/2 अगर औलाद न हो

1/4 अगर औलाद मौजूद हो

(एक या ज़्यादा)

बेटा, बेटी, पोता, पोती,

पड़पोता, पड़पोती

बीवी का हिस्सा (ज़विल फ़ुरूज़)

1/4 अगर औलाद न हो

1/8 अगर औलाद मौजूद हो

(एक या ज़्यादा)

बेटा, बेटी, पोता, पोती
पड़पोता, पड़पोती

बाप या दादा का हिस्सा
(ज़विल फ़ुरूज़+असबा)

ज़विल फ़ुरूज़	1/6	अगर औलाद हो (एक या ज़्यादा) मर्द-बेटा, पोता, पड़पोता
ज़विल फ़ुरूज़ + असबा	1/6+R	बचा हुआ हिस्सा भी मिलेगा अगर औलादें औरतें ही हों बेटी, पोती, पड़पोती
सिर्फ़ असबा	R	सिर्फ़ बचा हुआ हिस्सा मिलेगा अगर कोई औलाद न हो

(कोई हिस्सा नहीं दादा का अगर बाप मौजूद हो)

बेटी का हिस्सा
(ज़विल फ़ुरूज़+असबा-बि-ग़ैरिही)

ज़विल फ़ुरूज 1/2

कोई बेटा न हो सिर्फ़ एक बेटी हो

ज़विल फ़ुरूज 2/3

कोई बेटा न हो मगर दो या ज़्यादा बेटियाँ हो (बेटियाँ में बराबर तक़्सीम होगी)

असबा-बि-गैरिही 2:1

बेटा या बेटों के साथ एक बेटी या ज़्यादा बेटियाँ हों

हर बेटे को 2 हिस्से

हर बेटी को 1 हिस्सा

माँ का हिस्सा (ज़विल फ़ुरूज़)

1/6 अगर औलाद मौजूद हो (एक या ज़्यादा)

मर्द - बेटा, पोता, पड़पोता

औरत–बेटी, पोती, पड़पोती

1/6 औलाद नहीं, लेकिन दो या ज़्यादा हक़ीक़ी भाई और बहन मौजूद हों

1/6 औलाद नहीं, हक़ीक़ी भाई बहन नहीं, लेकिन दो या ज़्यादा पिदरी भाई और बहन मौजूद हों

1/6 औलाद नहीं, कोई हक़ीक़ी भाई, हक़ीक़ी बहन नहीं, कोई पिदरी भाई, पिदरी बहन नहीं लेकिन दो या ज़्यादा मादरी भाई और बहन मौजूद हों

1/6 औलाद नहीं, लेकिन किसी भी क़िस्म के भाई बहन हों (दो या ज़्यादा)

1/3 औलाद नहीं, कोई हक़ीक़ी भाई बहन नहीं, कोई पिदरी भाई बहन नहीं, कोई मादरी भाई बहन नहीं

1/3 कोई औलाद नहीं, लेकिन सिर्फ एक भाई या सिर्फ़ एक बहन मौजूद हो

पोती का हिस्सा
(ज़विल फ़ुरूज़+असबा-बि-ग़ैरिही)

ज़विल फ़ुरूज 1/2

बेटा नहीं, पोता नहीं, बेटी नहीं सिर्फ़ एक पोती हो

ज़विल फ़ुरूज 2/3

बेटा नहीं, पोता नहीं, बेटी नहीं
लेकिन दो या ज़्यादा पोतियाँ हों
(पोतियों में बराबर की तक़्सीम होगी)

ज़विल फ़ुरूज 1/6

बेटा नहीं, पोता नहीं, लेकिन
सिर्फ़ एक बेटी है (1/2)
सिर्फ़ एक पोती है (1/6)

ज़विल फ़ुरूज 1/6

बेटा नहीं, पोता नहीं, लेकिन

सिर्फ़ एक बेटी है (1/2)

दो या ज़्यादा पोतियाँ (1/6)

(तक़्सीम बराबर होगी)

असबा-बि-ग़ैरिही 2:1

बेटा नहीं, बेटी नहीं

सिर्फ़ पोता 2 हिस्से

सिर्फ पोती 1 हिस्सा

असबा-बि-ग़ैरिही 2:1

बेटा नहीं, बेटी नहीं, पोता नहीं, पोती नहीं

सिर्फ़ पड़पोता 2 हिस्से

सिर्फ पड़पोती 1 हिस्सा

असबा-बि-ग़ैरिही 2:1

बेटा नहीं, लेकिन दो या ज़्यादा बेटियाँ, पोता, पोती के साथ हों तो पोते की वजह से पोती को हिस्सा मिलेगा ।

पोता 2 हिस्से

पोती 1 हिस्सा

कोई हिस्सा नहीं

(1) बेटे की मौजूदगी में पोती या पोता का कोई हिस्सा नहीं

(2) पोते की मौजूदगी में पड़पोती या पड़पोता का कोई हिस्सा नहीं

(3) बेटा नहीं, पोता नहीं, लेकिन दो या ज़्यादा बेटियां हों तो पोती का कोई हिस्सा नहीं ।

हक़ीक़ी बहन और हक़ीक़ी भाई का हिस्सा
(ज़विल फ़ुरूज़+असबा-बि-ग़ैरिही+असबा-मअ़-ग़ैरिही)

ज़विल फ़ुरूज़ 1/2 सिर्फ़ एक हक़ीक़ी बहन हो

ज़विल फ़ुरूज़ 2/3 सिर्फ़ हक़ीक़ी बहनें दो या ज़्यादा हों (बराबर बराबर तक़्सीम होगी)

असबा-बि-ग़ैरिही 2:1

अगर एक या ज़्यादा हक़ीक़ी बहन, एक या ज़्यादा हक़ीक़ी भाई के साथ हो

हर हक़ीक़ी भाई को 2 हिस्से

हर हक़ीक़ी बहन को 1 हिस्सा

असबा-मअ़-ग़ैरिही R बचा हुआ हिस्सा

अगर एक या ज़्यादा हक़ीक़ी बहनों के साथ बेटी हो एक या ज़्यादा

पोती हो एक या ज़्यादा

कोई हिस्सा नहीं हक़ीक़ी बहन और भाई का

(1) अगर बेटा या पोता या पड़पोता मौजूद हो

(2) अगर बाप या दादा या परदादा मौजूद हों

मादरी बहन और मादरी भाई का हिस्सा
(ज़विल फ़ुरूज़)

1/6 अगर एक ही मादरी (माँ शरीक) भाई हो

1/6 अगर एक ही मादरी (माँ शरीक) बहन हो

1/3 अगर दो या ज़्यादा मादरी भाई हों

1/3 अगर दो या ज़्यादा मादरी बहनें हों

1/3 अगर एक या ज़्यादा मादरी भाई हों, एक या ज़्यादा मादरी बहन के साथ

(मादरी भाई और मादरी बहन में बराबर की तक़्सीम होगी)

कोई हिस्सा नहीं मादरी बहन और मादरी भाई का

(1) अगर बाप, दादा या परदादा मौजूद हो

(2) अगर बेटा, पोता या पड़पोता मौजूद हो

(3) अगर बेटी, पोती, या पड़पोती मौजूद हो

पिदरी बहन और पिदरी भाई का हिस्सा

(ज़विल फ़ुरूज़+असबा-बि-ग़ैरिही+असबा-मअ़-ग़ैरिही)

ज़विल फ़ुरूज़ 1/2 सिर्फ़ एक पिदरी बहन हो

ज़विल फ़ुरूज़ 2/3 सिर्फ़ बहनें दो या ज़्यादा हों

(बराबर बराबर तक़्सीम होगी)

असबा-बि-ग़ैरिही 2:1

अगर एक या ज़्यादा पिदरी बहन, एक या ज़्यादा पिदरी भाई के साथ हो

हर पिदरी भाई को 2 हिस्से

हर पिदरी बहन को 1 हिस्सा

असबा-मअ़-ग़ैरिही R बचा हुआ हिस्सा

अगर एक या ज़्यादा पिदरी बहनों के साथ
बेटी हो एक या ज़्यादा
पोती हो एक या ज़्यादा

नोट 1/6 अगर एक या ज़्यादा पिदरी बहनें हों
एक हक़ीक़ी बहन (1/2) के साथ
(हर पिदरी बहन को 1/6 में
से बराबर हिस्सा मिलेगा)

कोई हिस्सा नहीं पिदरी बहन को

अगर दो या ज़्यादा हक़ीक़ी बहनें मौजूद हों

कोई हिस्सा नहीं पिदरी बहन और पिदरी भाई को

(1) अगर बेटा, पोता या पड़पोता मौजूद हो

(2) अगर बाप, दादा या परदादा मौजूद हो

(3) अगर हक़ीक़ी भाई मौजूद हो

(4) अगर हक़ीक़ी बहन (असबा-मअ़-ग़ैरिही) के साथ बेटी (1/2) भी हो

(5) अगर हक़ीक़ी बहन (असबा-मअ़-ग़ैरिही) के साथ पोती (1/2) भी हो

दादी और नानी के हिस्से (ज़विल फ़ुरूज़)

1/6 अगर एक नानी हो

1/6 अगर एक दादी हो

1/6 अगर एक नानी और एक दादी हो (बराबर की तक़्सीम होगी)

1/6 नानी के साथ बाप मौजूद हो

कोई हिस्सा नहीं

(1) दादी को अगर बाप मौजूद हो

(2) नानी और दादी को अगर माँ मौजूद हो

(3) परनानी को	अगर नानी मौजूद हो
(4) परदादी को	अगर दादी मौजूद हो
(5) परनानी को	अगर दादी मौजूद हो

★ ★ ★

सन्दर्भ सूची

वसीयत : क़ुरआन 4:11, बुख़ारी-6723, 2740, 2742, 2743, 2744, अबू दाऊद-2870, 2922, मिश्कात-3071, 3072, 3073, 3075

क़र्ज़ : क़ुरआन 4:11, बुख़ारी-6723, मुस्लिम-4157

तरका (जायदाद) : क़ुरआन 4:11-12, 4:176, बुख़ारी-6732, अबु दाऊद-2922, इब्ने माजह-2719, मिश्कात-3078, तिर्मीज़ी-2091

शौहर : क़ुरआन 4:12, बुख़ारी - 2747, 6723, 6739

बीवी : क़ुरआन 4:12, बुख़ारी-2747, 6723, 6739, इब्ने माजह-2720, मिश्कात-3058, अबू दाऊद-2891

बाप : क़ुरआन 4:11, बुख़ारी-6723, 6739, 2747, 6723

दादा : बुख़ारी 6738, मिश्कात-3060, अबू दाऊद-2896, तिर्मिज़ी-2099, इब्ने माजह-2722, 2723

बेटी : क़ुरआन 4:11, बुख़ारी-6723, 6734, 6736, 6742, तिर्मिज़ी-2092, 2093, अबू दाऊद-2890, 2891, 2893, मिश्कात-3058, 3059, इब्ने माजह-2720, 2721

माँ : क़ुरआन - 4:11, बुख़ारी 6723, 6739, तिर्मिज़ी-2092, इब्ने माजह-2740

पोती : बुख़ारी-6736, 6742, तिर्मिज़ी-2093, मिश्कात-3059, अबू दाऊद-2890, इब्ने माजह-2721

दादी और नानी : मिश्कात-3049, 3061, तिर्मिज़ी-2100, 2101, 2012, अबू दाऊद-2894, 2895, इब्ने माजह-2724, 2725

असबा-बि-ग़ैरिही (बेटा और बेटी) : क़ुरआन 4:11, मुस्लिम-4146, तिर्मिज़ी-2096, बुख़ारी-6723

असबा-बि-ग़ैरिही (पोता और पोती) :

बुख़ारी-6735

असबा-बि-ग़ैरिही (सगी बहन और सगा भाई) :

क़ुरआन 4:176, मुस्लिम-4150, तिर्मिज़ी-2097, इब्ने माजह-2726, अबू दाऊद-2886, 2887, 2889

असबा-मअ़-ग़ैरिही :

बुखारी-6734, 6736, 6742, इब्ने माजह-2721, अबू दाऊद-2890, 2893, तिर्मिजी-2093, मिश्कात-3059

असबा-बि-नफ़्सिही :

बुख़ारी-6732, 6737, 6744 (भाई), मुस्लिम-4141, 4142, 4143, तिर्मिज़ी-2092

(चचा), 2094 (सगा भाई और पिदरी भाई), 2095 (सगा भाई और पिदरी भाई), 2098, मिश्कात-3057 (सगा भाई और पिदरी भाई), 3058 (चचा), मिश्कात-3068 (भतीजा) अबु दाऊद-2891 (चचा), 2898, इब्ने माजा-2720 (चचा), 2740, इब्ने माजह-2739 (सगा भाई और पिदरी भाई)

मादरी भाई और बहन : क़ुरआन 4:12, बुख़ारी-6723

ज़विल-अरहाम : मिश्कात-3052, तिर्मिज़ी-2103, 2104, इब्ने माजह-2737

★ ★ ★

लेखक की अन्य पुस्तकें

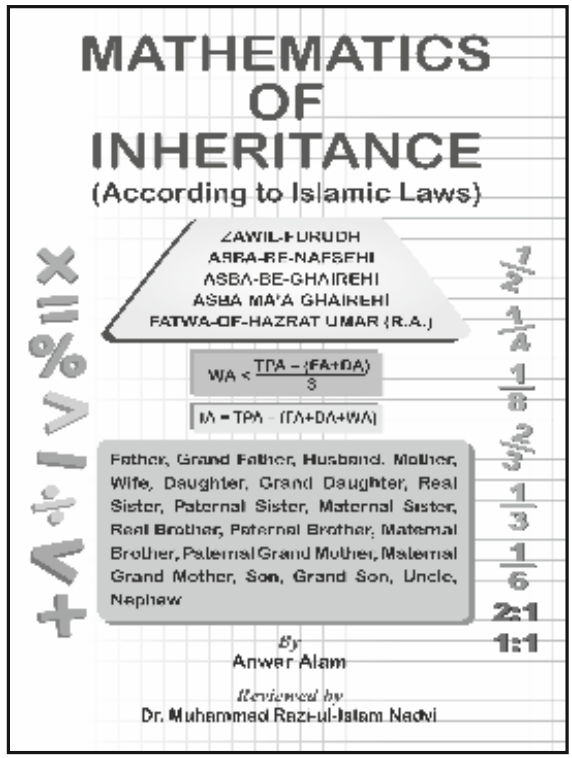

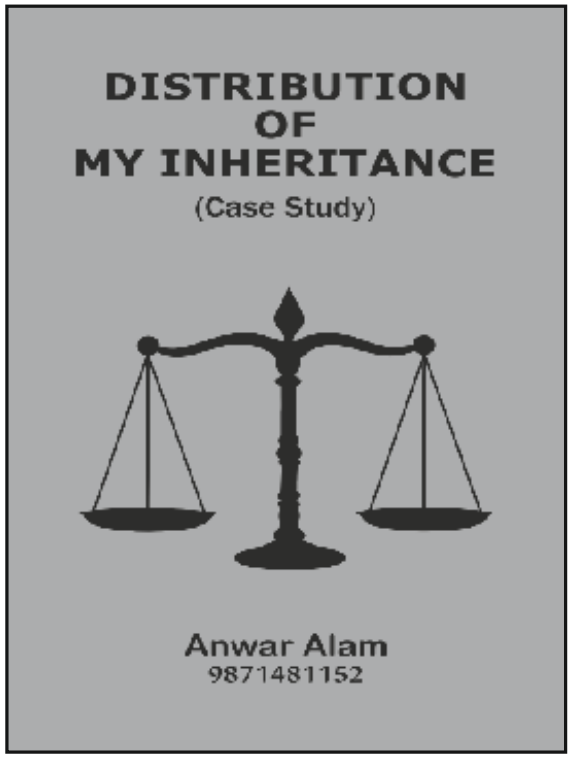

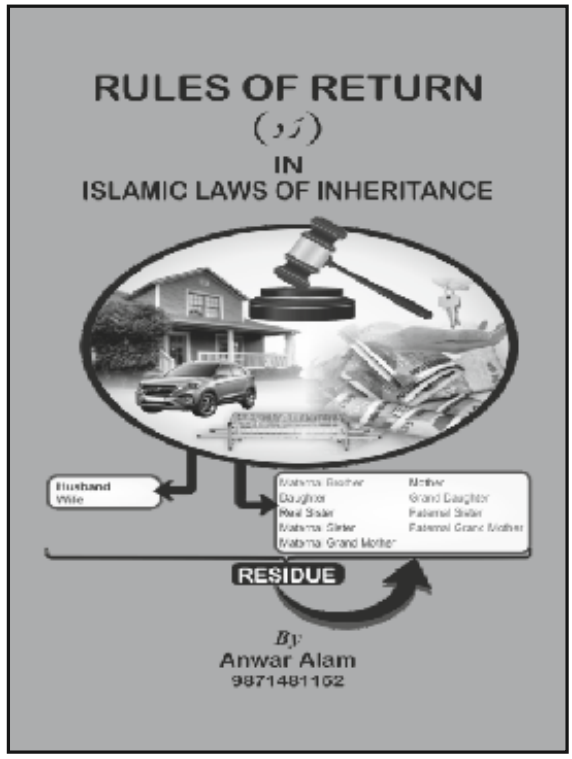

परिचय
Introduction

यह किताब इल्म-ए-मीरास (विरासत) को सीखने की कुंजी है। इस किताब में आयात-ए-मीरास से मुताल्लिक़ (Related) सारे वारिसीन (Inheritors) की मुकम्मल फ़हरिस्त (Complete list) उनके हिस्सों के साथ दी गई है।

यह किताब हर ख़ास-व-आम शख़्स के लिए एक तोहफ़ा है।

लेखक ने इस किताब को लिखने से पहले क़ुरआन मजीद की सूरह अन-निसा की आयात-ए-मीरास और हदीस की किताबों का गहराई से मुतालआ़ (Study) किया है।

लेखक साल 2015 से लगातार क़ानून-ए-विरासत पर काम कर रहे हैं और विरासत की फ्री क्लास भी ले रहे हैं। क्लास ऑन लाइन (Online) और ऑफ लाइन (Offline) साल 2017 से चल रही है।

लेखक की पहली किताब 'Islamic laws of Inheritance' अंग्रेज़ी में छपी थी। फिर उसका अनुवाद उर्दू में किया गया और फिर उर्दू से यह हिन्दी अनुवाद किया गया जो आपके हाथ में है। लेखक ने वसीयत, क़र्ज़ और वारिसीन से मुताल्लिक़ हवाले (References) क़ुरआन और हदीस की किताबों से लिए हैं। जिसमें सही बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजह, मिश्कात और तिर्मिज़ी शामिल हैं।

सारे हवाले (References) इस किताब के आख़िर में दिए गए हैं। इस किताब के टाईटल पेज पर एक QR code दिया गया है। जिसको स्मार्ट फोन से स्केन करके आप विरासत की क्लास के Recorded Videos देख सकते हैं।

अल्लाह हम सबको इल्म-ए-मीरास सीखने, सिखाने और इसको नाफ़िज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन

AL-UMMAH BOOK HOUSE
321, Unit-6 Ground Floor, Main Market Okhla, Jamia Nagar, New Delhi-25
Contact Us : +91- 9667957681, 8700245882, alummahbooks@gmail.com
Author : 9871481152, virasat.anwar@gmail.com
AVAILABLE ON
₹ 20.00